न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

1. प्रकरण संख्या 14 / 2015 (राजसमन्द डिक्री)

1. चांदीबाई बेवा कालूराम जी बलाई, निवासी कुरज, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
2. कमलेश पिता गोपीलाल जी बलाई, निवासी कुरज, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. श्रीमती शान्ति बाई (पिता घीसा जी) पत्नी भोलीराम जी बलाई, निवासी कुरज, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
2. भैरूलाल पिता कालू जी बलाई, निवासी लापस्या, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
3. रोशनलाल पिता कालू जी बलाई, निवासी लापस्या, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
4. श्रीमती नानी बाई (पिता कालू जी) पत्नी भंवर जी बलाई, निवासी जावद, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
5. श्रीमती कमली बाई (पिता कालू जी) पत्नी हजारी जी बलाई, निवासी फुंख्या, तहसील गंगापुर, जिला भीलवाड़ा (राज.)
6. श्रीमती वाली बाई (पिता कालू जी) पत्नी भंवर जी बलाई, निवासी आकोदिया का खेड़ा, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
7. श्रीमती अणछी बाई पिता कालू जी बलाई, निवासी लापस्या, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
8. श्रीमती संतोष बाई पिता कालू जी बलाई, निवासी लापस्या, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
9. श्रीमती सुन्दर बाई पत्नी ललित कुमार जी सालवी, निवासी कुंवारिया, हाल चित्रकूट नगर, पी.जी.एफ. ऑफिस के सामने, उदयपुर (राज.)
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
11. नरेश कुमार पिता रामकिशन जी खटीक, निवासी कुरज, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

..... रेस्पोन्डेन्टगण

2. प्रकरण संख्या 52/2015 (राजसमन्द डिक्री)

1. चांदीबाई बेवा कालूराम जी बलाई, निवासी कुरज, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
2. कमलेश पिता गोपीलाल जी बलाई, निवासी कुरज, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. श्रीमती शान्ति बाई (पिता घीसा जी) पत्नी भोलीराम जी बलाई, निवासी कुरज, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
2. भैरूलाल पिता कालू जी बलाई, निवासी लापस्या, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
3. रोशनलाल पिता कालू जी बलाई, निवासी लापस्या, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.
4. श्रीमती नानी बाई (पिता कालू जी) पत्नी भंवर जी बलाई, निवासी जावद, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
5. श्रीमती कमली बाई (पिता कालू जी) पत्नी हजारी जी बलाई, निवासी फुंख्या, तहसील गंगापुर, जिला भीलवाड़ा (राज.)
6. श्रीमती वाली बाई (पिता कालू जी) पत्नी भंवर जी बलाई, निवासी आकोदिया का खेड़ा, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
7. श्रीमती अणछी बाई पिता कालू जी बलाई, निवासी लापस्या, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
8. श्रीमती संतोष बाई पिता कालू जी बलाई, निवासी लापस्या, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
9. श्रीमती सुन्दर बाई पत्नी ललित कुमार जी सालवी, निवासी कुंवारिया, हाल चित्रकूट नगर, पी.जी.एफ. ऑफिस के सामने, उदयपुर (राज.)
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
11. नरेश कुमार पिता रामकिशन जी खटीक, निवासी कुरज, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

..... रेस्पोन्डेन्टगण

अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त. अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय व
प्रारम्भिक डिक्री उपखण्ड अधिकारी,
रेलमगरा, दिनांक 08–09–2014 व
अंतिम डिक्री दिनांक 05–06–2015

———::———

उपस्थित (वक्तबहस) 1– श्री ओंकारलाल डांगी अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री संजय बोहरा अभिभाषक रेस्पो॰ 1 से 8, 11
3– श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक रे. 10

———::———

निर्णय **दिनांक 05–12–2017**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में कस्तूरीबाई व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलान्टगण व हीरालाल, जगदीशचन्द्र, सुन्दरबाई, धापूबाई व सरकार के विरूद्ध एक वाद घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कुरज में वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित कुल किता 6 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा भूमि स्थित है। इसी प्रकार उक्त ग्राम में ही आराजी नंबर 810 रकबा 15 बिस्वा एवं 5931/811 रकबा 5 बिस्वा भूमि है, जो वादीगण एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की हैं। वीदगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 एक ही हिन्दू संयुक्त परिवार के सदस्य होकर हिन्दू विधि से शासित हैं, जिसका सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 2 में वर्णित है, जिसके अनुसार मूल पुरूष घीसा जी के दो पुत्र कालूराम व गोपीलाल तथा दो पुत्रियां कस्तूरीबाई एवं शान्तिबाई हुई। कालूराम फोत हो चुका है, जिसकी बेवा प्रतिवादी संख्या 1 चांदीबाई है। गोपीलाल भी फोत हो चुका है, जिसके वारिस पुत्र कमलेश प्रतिवादी संख्या 2, पुत्री सुन्दरबाई प्रतिवादी संख्या 5 तथा उसकी विधवा धापूबाई प्रतिवादी संख्या 6 हैं। कस्तूरीबाई एवं शान्तिबाई घीसाजी की पुत्रियां होकर वादीगण हैं।

उक्त भूमियां वादीगण के पिता घीसाजी के नाम जमाबन्दी संवत् 2022 में दर्ज थी, जिनकी मृत्यु होने पर प्रतिवादी संख्या 1 के पति कालूराम व प्रतिवादी संख्या 2 के पिता गोपीलाल ने पटवारी हल्का से मिलीभगत कर उक्त जमीनों का नामान्तरकरण अपने नाम स्वीकृत करवा दिया, जबकि

वादीगण घीसाजी की पुत्रियां होने से उनका भी समान हक अधिकार है। वादीगण के पिता की मृत्यु आज से करीब 35 वर्ष पूर्व हुई उस समय हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम प्रभाव में था। इस प्रकार उक्त भूमि में वादीगण का 1/24, 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पति कालू का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 2 के पिता गोपीलाल का 1/4 हिस्सा बनता है एवं पक्षकारान इसी अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। विवादित आराजियात में से आराजी नंबर 810 रकबा 15 बिस्वा भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 अपने हिस्से में से 1/12 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 को विक्रय कर दिया है, जबकि उतना हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का बनता ही नहीं है।

इसी प्रकार आराजी नंबर 5931/811 रकबा 5 बिस्वा किस्म आबादी में प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 4 को 324/871 हिस्सा विक्रय कर दिया है, जबकि कानूनन उसका इतना हिस्सा बनता ही नहीं है। इस प्रकार उक्त विक्रय प्रारम्भ से प्रभाव शून्य है। प्रतिवादी संख्या 1 के पति कालूराम की एवं प्रतिवादी संख्या 2 के पिता गोपीलाल की मृत्यु हो चुकी है। कालूराम का एक मात्र वारिस प्रतिवादी संख्या 1 है, जबकि गोपीलाल के वारिस प्रतिवादी संख्या 2 कमलेश, प्रतिवादी संख्या 5 सुन्दरबाई व प्रतिवादी संख्या 6 धापूबाई है , परन्तु जमाबन्दी में भूमियां कमलेश के नाम पर ही अंकित है, फिर भी किसी भी आपत्ति के मध्य नजर प्रतिवादी संख्या 5 व 6 को आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। निवेदन किया कि विवादित भूमियों में वादीगण प्रत्येक को 1/4, 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे तथा मीट्स एण्ड बाण्ड्स विभाजन कराया जावे एवं स्थाई निषेधाज्ञा भी दिलाई जावे।

प्रकरण में उक्त वाद पत्र प्रस्तुत होने पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादिया कस्तूरीबाई एवं शान्तिबाई घीसाजी की पुत्रियां अवश्य है, किन्तु प्रतिवादीगण के संयुक्त परिवार की सदस्य नहीं हैं। वादीगण विवाहिता होकर विवाह आणा, मुकलावा, मायरा आदि के समय धन प्राप्त कर वादग्रस्त भूमियों से अपना हक छोड़ चुकी हैं इसी कारण वादग्रस्त भूमि घीसाजी की मृत्यु पश्चात् प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पूर्वाधिकारी के नाम होकर उनका कब्जा चला आ रहा है। घीसा जी की मृत्यु 1969 में हुई उसके बाद प्रतिवादी संख्या 2 के पिता गोपीलाल की मृत्यु सन् 2004 में तथा प्रतिवादी संख्या 1

के पति कालूराम की मृत्यु सन् 2005 में हुई, तब से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 व 5 काबिज चले आ रहे हैं। वादीगण का कभी भी उक्त भूमियों पर कब्जा नहीं रहा। वादीगण का विकल्प के रूप में भी 1/4 हिस्सा नहीं बनता था। घीसाजी की मृत्यु 1969 में हुई उस समय गोपीलाल व कालूराम जी को 1/2 हिस्सा प्राप्त हो चुका था तथा आधा हिस्सा घीसा जी की मृत्यु पश्चात् सभी पक्षकारान में समान रूप से विभाजन होने से भी वादीगण प्रत्येक का 1/8 हिस्से से अधिक हिस्सा नहीं बनता था। वादग्रस्त भूमियां आबादी भूमियां होने से राजस्व न्यायालय का श्रवणाधिकार नहीं है। वादीगण का वाद मिथ्या आधारों पर होने से खारिज किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 3 व 4 की ओर से भी खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को कोई हिस्सा विक्रय न हीं किया है, क्योंकि प्रतिवादी संख्या 3 व 4 ने जो जमीने खरीदी हैं वह कालूराम पिता घीसाजी से खरीदी है, जो विक्रेता कालूराम के नाम राजस्व रेकार्ड में किस्म आबादी वाणिज्यिक एवं कृषि भूमि के रूप में दर्ज थी, जिसमें से विक्रेता ने प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को आबादी भूमियों का विक्रय किया है एवं क्रेता प्रतिवादी संख्या 3 व 4 अपने प्लोट पर काबिज होकर उपयोग–उपभोग कर रहे हैं। भूमियां आवासीय एवं वाणिज्यिक होने से राजस्व न्यायालय को सुनवाई का श्रवणाधिकार नहीं है।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 5 व 6 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्लीडिंग्स के आधार पर प्रकरण में निम्नानुसार 7 तनकियात कायम की गयी :–

1. आया वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित कृषि आराजियात में प्रत्येक वादी का 1/4, 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पति कालूराम का 1/4 एवं प्रतिवादी संख्या 2 के पिता गोपीलाल का 1/4 हिस्सा अनुसार वादीगण घोषणा की डिक्री प्राप्त कर हिस्सा घोषित कराने के अधिकारी हैं ? ..... वादीगण
2. आया आराजी संख्या 810 व 5931/811 में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम जो राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज हो रखा है उसे वादीगण विलोपित कराने के अधिकारी हैं ? ..... वादीगण

3. आया घोषणा के बाद वादीगण विभाजन की प्रारम्भिक व अंतिम डिक्री प्राप्त कर स्वतंत्र नाम पर राजस्व रेकार्ड में कराने व स्वतंत्र आधिपत्य प्राप्त करने के अधिकारी हैं ? ..... वादीगण

4. आया वाद पत्र में आबादी व वाणिज्यक भूमि के बारे में श्रवणाधिकार आप न्यायालय को नहीं होकर सिविल न्यायालय का है ? ..... प्रति.सं. 1 से 4

5. आया प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का प्रतिकूल कब्जा परिपक्व हो चुका है ? ..... प्रतिवादी संख्या 1 व 2

6. आया प्रतिवादी संख्या 6 गोपीलाल की वैध रूप से विवाहिता पत्नी है जिससे वादग्रस्त भूमियों में इसका कोई खातेदारी हक नहीं बनता है ? ..... प्रतिवादी संख्या 1 व 2

7. अनुतोष ?

अधिनस्थ न्यायालय में दौराने कार्यवाही अधिवक्ता वादीगण द्वारा वक्त बहस आबादी व वाणिज्यिक भूमियों के बारे में किसी प्रकार की रिलीफ न्यायालय से नहीं चाही गयी है अतएवं उक्त आराजियात बाबत् अधिनस्थ न्यायालय ने श्रवणाधिकार के बिन्दु पर कोई फाईडिंग नहीं दी है।

प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त तनकियात पर पक्षकारों को सुनने के बाद उपलब्ध साक्ष्यों पर तनकीवार विवेचन करते हुए अपने निर्णय दिनांक 18–09–2014 से वादीगण का वाद स्वीकार करते हुए वादीगण कस्तूरीबाई व शान्तिबाई प्रत्येक को 1/4, 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित कर विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की।

अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 18–09–2014 से रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा इस न्यायालय में अपील संख्या 14/2015 दिनांक 04–06–2015 को पेश की गयी है, जिसे हम आगे प्रथम अपील के रूप में वर्णित करेंगे।

प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रारम्भिक डिक्री के बाद प्राप्त विभाजन प्रस्तुत के आधार पर दिनांक 05–06–2015 को अंतिम डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा अपील संख्या 52/2015 इस न्यायालय में दिनांक 17–12–2015 को पेश की गयी, जिसे हम आगे द्वितीय अपील के रूप में संबोधित करेंगे।

उपरोक्त दोनों अपीलें अधिनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 457/2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, प्रथम अपील प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 18–09–2014 के विरूद्ध पेश की गयी है, जबकि द्वितीय अपील अंतिम डिक्री दिनांक 05–06–2015 के विरूद्ध पेश की गयी है, किन्तु दोनों अपीलों में पक्षकारान एवं विषय वस्तु समान हैं तथा एक ही प्रकरण संख्या 457/2010 में पारित प्रारम्भिक डिक्री व अंतिम डिक्री के विरूद्ध दोनों अपीले प्रस्तुत होने से, दोनों अपीलों का एक साथ–निर्णय किया जाना हम उचित समझते हैं। निर्णय की एक–एक प्रति संबंधित पत्रावली में संलग्न रहे।

सर्वप्रथम हम प्रारम्भिक डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत प्रथम अपील संख्या 14/2015 का निर्णय करना उचित समझते हैं, जिसमें अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उनके प्रकरण संख्या 457/2010 में दिनांक 18–09–2014 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की गयी है, के विरूद्ध प्रथम अपील दिनांक 04–06–2015 को पेश की गयी है।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मयाद का आवेदन प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलान्ट ने अधिनस्थ न्यायालय में पैरवी करने हेतु अधिवक्ता नियुक्त कर रखा था, लेकिन अपीलान्ट को निर्णय की जानकारी नहीं दी गयी। दिनांक 24–05–2015 को पटवारी हल्का ने बंटवाड़े की डिक्री होने बाबत् कहा तो अपीलान्ट दिनांक 25–05–2015 को अपने अधिवक्ता से मिले व कथित निर्णय की जानकारी चही तो अधिवक्ता ने वाद डिक्री होने की जानकारी दी। जानकारी दिनांक से अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत कर दी गयी है। अपील देरी से पेश करने का पर्याप्त एवं उचित कारण है। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

उक्त आवेदन का जवाब विपक्षी/रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी थी तथा वे स्वयं अपने अधिवक्ता के मार्फत न्यायालय में बराबर उपस्थित होते रहे है। झूठे आधारों पर उक्त आवेदन प्रस्तुत किया है। सारा दोष अधिवक्ता पर मढ़ देना उचित नहीं है। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

→ हमारे द्वारा उक्त दफा 5 के आवेदन पर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय दिनांक 18–09–2014 को उभयपक्षों की बहस सुनने के बाद उनकी उपस्थिति में सुनाया गया है,

जिसकी मयाद दिनांक 17–11–2014 होती है, जबकि इस न्यायालय में अपील दिनांक 04–06–2015 को अर्थात करीब 7 माह विलम्ब से पेश की गयी है, जिसके लिए जो आधार लिये गये हैं वे न तो उचित हैं न ही पर्याप्त। जैसाकि वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीर आर.आर.टी. 2017 (1) पेज 711 एवं आर.बी.जे. 2010 पेज 289 में प्रतिपादित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा अपने अधिवक्ता ने 9 माह तक सम्पर्क क्यों नहीं किया गया, इस बाबत् कोई साक्ष्य नहीं है। वस्तुतः निर्णय के 9 माह तक अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं किया जाना अत्यन्त खेद जनक प्रतीत होता है तथा सारा दोष अपने अधिवक्ता पर मढ़ देने ने अपीलान्ट अपने दायित्वों से बच नहीं सकता नहीं है। इतने विलम्ब को कण्डोन किये जाने के लिए ठोस, उचित एवं पर्याप्त आधार नहीं है। तद्नुसार प्रथम दृष्टया अपील मयाद के बिन्दु पर ही खारिज योग्य है।

हालांकि अपील बेरून मयाद होने से ही खारिज योग्य है, फिर भी गुणावगुण के दृष्टिगण अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 8 व 11 की ओर से वकील श्री संजय बोहरा उपस्थित हुए, शेष रेस्पोन्डेन्ट संख्या 9 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 10 राज्य सरकार की ओर से औपचारिक पक्षकार राजकीय अभिभाषक श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए।

प्रकरण में जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है, वकील अपीलान्ट ने प्रमुख उजर यह लिये कि प्रकरण में साक्ष्यों से सही विश्लेषण नहीं किया गया है। तनकी नंबर 1 जो वादीगण के जिम्मे थी, वादीगण के कथनानुसार प्रत्येक का 1/8, 1/8 हिस्सा ही बनता है, फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने 1/4, 1/4 हिस्सा घोषित करने में भूल की है। तनकी नंबर 2 का निर्णय भी त्रुटि पूर्ण है, जबकि इस तनकी में अंकित आराजियात आबादी में दर्ज होने से राजस्व न्यायालय का श्रवणाधिकार नहीं है। तनकी नंबर 4 के संबंध में अधिनस्थ न्यायालय ने श्रवणाधिकार सिविल न्यायालय का माना है तथा इस तनकी पर कोई विचार नहीं करने की आवश्यकता बताकर निर्णय करने में भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय ने तकनी नंबर 1 जिस तरह से निर्णित की है उसमें प्रतिवादी धापू बाई को गोपीलाल की पत्नी मानते हुए उसका हिस्सा मानने में भूल की है, जबकि गोपीलाल की शादी शुदा पत्नी गोपी बाई थी, जिससे अपीलान्ट कमलेश व सुन्दर बाई का जन्म हुआ तथा गोपी

बाई के जीवनकाल में ही धापू बाई गोपीलाल के यहां आकर रहने लगी। धापू बाई हीरालाल सालवी निवासी राशमी मी विवाहिता पत्नी है, जिससे तलाक की डिक्री नहीं हुई है। प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को जो भूमि विक्रय की है वह आबादी की है तथा अपने हिस्से से ज्यादा नहीं बेची है, बिकावनामा जायज है, जिसको चुनौती देने का वादीगण को कोई अधिकार नहीं है। कस्तूरी बाई की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उसके वारिसान को अन्दर मयाद कायम मुकाम नहीं बनाया है तथा अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरों का भी अवलोकन नहीं किया है।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर रेकार्ड का अवलोकन किया गया तथा अपीलान्ट द्वारा लिये गये उजरात पर मनन किया तो यह पाया कि भूमि मौरूस घीसाजी के समय की है तथा भूमियां घीसाजी के पूर्व की सहदायी भूमियां होना प्रकट नहीं होता है। यह भी स्वीकृत स्थिति है कि घासीजी की मृत्यु हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रभाव में आने के बाद हुई है, तद्नुसार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पुत्रियों का पुत्र के समान हिस्सा बनता है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी नंबर 1 के विवेचन में वादीगण प्रत्येक का 1/4, 1/4 हिस्सा माना है, जिसमें हम प्रथम दृष्टया किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते हैं।

जहां तक तनकी नंबर 2 का प्रश्न है, इस बाबत् वादीगण द्वारा किसी प्रकार की रिलीफ ही नहीं चाही गयी है, तद्नुसार इस तनकी को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण के पक्ष में निर्णित किये जाने को उचित नहीं माना है, जिसमें हम किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते हैं, क्योंकि इस बाबत् वादीगण का किसी प्रकार का उजर नहीं है। जब वादीगण द्वारा इस बाबत् कोई रिलीफ ही नहीं चाही गयी है तो यह वाद/अपील की विषय वस्तु हो ही नहीं सकती।

तनकी नंबर 3 का निर्णय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी नंबर 1 के अनुक्रम में किया गया है, जिसमें वादिया/रेस्पोन्डेन्ट को 1/4 हिस्से का खातेदार मानने के बाद विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की गयी है, जिसमें हम किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते हैं।

तनकी नंबर 4 तनकी नंबर 2 की ही पुनरावृत्ति है, क्योंकि तनकी नंबर 2 में वादीगण द्वारा विवादित आराजियात आबादी भूमि होने से किसी

प्रकार रिलीफ नहीं चाही है, अतएवं अपील स्तर पर उसे पुनः विवाद का विषय नहीं माना जा सकता।

तनकी नंबर 5 के सन्दर्भ में यह विधिक स्थिति है कि विरासत के मामले में सभी विधिक उत्तराधिकारियों का कब्जा माना जाता है, कब्जा उत्तराधिकार के मामले में गौड़ होता है। अतएवं किसी एक वारिसान को प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदार नहीं माना जा सकता।

जहां तक तनकी नंबर 6 का प्रश्न है, उस पर किसी प्रकार का विवेचन किया जाना औचित्यपूर्ण नहीं है, क्योंकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी नंबर 6 का विवाद अपीलान्ट तथा धापू बाई के मध्य माना है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपनी राहत में सिर्फ वादीगण को 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया है, धापू बाई के पक्ष में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की घोषणा नहीं की गयी है। उक्त तनकी का सारभूत रूप से वाद के निर्णय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

जहां तक वादी संख्या 1 कस्तूरी बाई की मृत्यु हो जाने एवं उसके वारिसान को कायम मुकाम नहीं बनाये जाने का प्रश्न है, परन्तु कस्तूरी बाई की मृत्यु कब हुई, यह उनके द्वारा नहीं बनाया गया है। उपरोक्तानुसार अधिनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 457/2010 में जारी प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 18–09–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 14/2015 को हम बेरून मयाद एवं सारहीन पाते हैं। अतएवं प्रथम अपील नंबर 14/2015 बेरून मयाद एवं सारहीन होने से खारिज की जाती है।

अब हम द्वितीय अपील संख्या 52/2015 जो अधिनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 457/2010 में पारित अंतिम डिक्री दिनांक 05–06–2015 पर विवेचन करना उचित समझते हैं, जिसके विरूद्ध इस न्यायालय में यह द्वितीय अपील दिनांक 17–12–2015 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मयाद का आवेदन प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 18–09–2014 के विरूद्ध इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर दी, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय की पेशियों पर नहीं गया व समझा की अपील पेश कर दी है, अब पेशी खत्म हो गयी है, लेकिन अपीलान्ट द्वारा नियुक्त किये गये अधिवक्ता द्वारा प्रारम्भिक डिकी की पालना हेतु कार्यवाही किये जाने हेतु अधिनस्थ न्यायालय की पेशी के लिए दिनांक

09–12–2015 को पूछा तो अपीलान्ट ने बताया कि हमें पेशी का ध्यान नहीं है, अधिवक्ता को पूंछकर बताऊंगा, जिस पर अपीलान्ट ने अपने अधिवक्ता ने दिनांक 10–12–2015 को पेशी के पूंछा तो अंतिम डिक्री दिनांक 05–06–2015 को पारित होने जानकारी मिली, जिस पर नकल प्राप्त कर कर अपील प्रस्तुत कर दी। जानकारी दिनांक से अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत कर दी गयी है। अपील देरी से पेश करने का पर्याप्त एवं उचित कारण है। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

→ अखण्डित शपथ पत्र, व्यक्त कारणों एवं न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 8 व 11 की ओर से वकील श्री संजय बोहरा उपस्थित हुए, शेष रेस्पोन्डेन्ट संख्या 9 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 10 राज्य सरकार की ओर से औपचारिक पक्षकार राजकीय अभिभाषक श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए।

वकील अपीलान्ट ने प्रमुख उजर यह लिये कि विभाजन प्रस्ताव पर अपीलान्ट द्वारा कोई सहमति नहीं दी गयी है तथा कमिश्नर द्वारा प्रारम्भिक डिक्री की पालना में बंटवाड़ा प्रस्ताव बनने के पूर्व कोई सूचना अपीलान्ट को नहीं दी गयी है तथा बंटवाड़ा प्रस्ताव अपीलान्ट की उपस्थिति में नहीं बनाया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बंटवाड़े बाबत् बनाये गये नियम 18 से 21 की पालना भी नहीं की गयी है। बंटवाड़ा नियमानुसार नही हुआ है तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 से 8 के हिस्से में जो भूमि रखी गयी है वह अच्छी किस्म की है तथा लगान भी ज्यादा है इसके विपरीत अपीलान्ट के हिस्से में कम भूमि रखी गयी है तथा लगान भी कम है। अपीलान्ट को बंटवाड़ा सूची पर आपत्ति प्रस्तुत करने के लिए कोई अवसर नहीं दिया गया है।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर रेकार्ड का अवलोकन किया गया तथा अपीलान्ट द्वारा लिये गये उजरात पर मनन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अंतिम डिक्री में जो वर्णन किया गया है, उसके अनुसार विभाजन योजना पर वकील पक्षकारों की बहस सुनी जाकर वकील पक्षकार द्वार प्राप्त विभाजन योजना पर अपनी सहमति व्यक्त की गयी है। तद्नुसार यह तथ्य गौड़ हो जाता है कि अपीलान्ट को विभाजन

प्रस्ताव के समय बुलाया गया अथवा नहीं तथा नियम 18 से 21 की पालना के सन्दर्भ में भी अपीलान्ट के उजरात का कोई अत्यधिक महत्व नहीं रखते हैं, क्योंकि इस बाबत् उनके अधिवक्ता द्वारा सहमति दिये जाने का उल्लेख है।

हमारे द्वारा यह पाया गया कि अपीलान्टगण व रेस्पोन्डेन्टगण को जो भूमियां दी गयी हैं, उक्त भूमियों के विभाजन में अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री में किसी प्रकार की विसंगति नहीं है तथा हक हिस्से अनुसार ही भूमियां दी गयी हैं। उक्त भूमियों में लगान संबंधी कमी गौड़ है। रकबा करीब–करीब बराबर है। जब अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर सहमति दी गयी है तो उसके बाद उन्हें पुनः उक्त प्रकरण में नया विवाद खड़ा करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। तद्नुसार अपीलान्ट द्वारा उठाये गये उजरात विधिक नहीं होने से द्वितीय अपील संख्या 52/2015 भी सारहीन होने से खारिज योग्य है।

अतएवं अधिनस्थ न्यायालय के मूल प्रकरण संख्या 457/2010 में पारित प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 18–09–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत प्रथम अपील संख्या 14/2015 बेरून मयाद एवं सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अंतिम डिक्री दिनांक 05–06–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत द्वितीय अपील संख्या 52/2015 भी सारहीन होने से खारिज की जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 05–12–2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास ..... **एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

श्रीमती चांदीबाई बेवा कालूराम जी बलाई, नि0 कुरज, तह0 रेलमगरा, जिला राजसमन्द व अन्य बनाम **श्रीमती शान्तिबाई (पिता घीसाजी) पत्नी भोलीराम बलाई, नि0 कुरज, तहसील रेलगमरा व अन्य**

अपील नं.....**14 / 2015**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**रेलमगरा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**....18**.....माह.....**09**.....**2014**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**05**.....माह.....**12**.....सन् **2017** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी...**श्री ओंकारलाल डांगी**....मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री संजय बोहरा**.....

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट बेरून मयाद एवं सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 18–09–2014 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**05**.....माह.....**12**.....**2017** को जारी किया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास ..... **एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

श्रीमती चांदीबाई बेवा कालूराम जी बलाई, नि0 कुरज, तह0 रेलमगरा, जिला राजसमन्द व अन्य बनाम **श्रीमती शान्तिबाई (पिता घीसाजी) पत्नी भोलीराम बलाई, नि0 कुरज, तहसील रेलगमरा व अन्य**

अपील नं.....**52 / 2015**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**रेलमगरा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**.....05**.....माह.....**06**.....**2015**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**05**.....माह.....**.12**.....सन् **2017** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी...**श्री ओंकारलाल डांगी**....मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री संजय बोहरा**.....

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 05–06–2015 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**05**.....माह.....**.12**.....**2017** को जारी किया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।